



सत्यमेव जयते

Government of India

रखा लेखा प्रधान नियंत्रक(प०क०)

Pr. Controller of Def. Accounts(WC)

सेक्टर - 9, चण्डीगढ़ / Sector - 9, Chandigarh

Email: [npscell.pcdawc@nic.in](mailto:npscell.pcdawc@nic.in)

दूरभाष / Ph No: 0172-2741611-14(Extn. 260 & 259)

फैक्स / FAX No: 0172-2742552 (GO - Admn.)



फैक्स/मेल/पजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट

सं० नि०क०/1/चण्डी/सा०भ०नि०/17-18

दिनांक : 15/02/2018

सेवा में,

1. क्षेत्र०का०।वेतन।दिल्ली कैंन्ट
2. क्षेत्र०का०।वेतन।जलंधर कैंन्ट
3. क्षेत्र०का०।वेतन।पठानकोट कैंन्ट
4. डी. सी.ओ.डी., दिल्ली कैंन्ट
5. वेतन अनुभाग, व लेखा भंडार अनुभाग।स्थानीय
6. सभी लेखा अधिकारी दुर्ग अभियंता कार्यालय

विषय : सा०भ०नि० डाटा पंच करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में उपरलिखित सभी उप वेतन कार्यालयों /अनुभाग को निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं :

1. सा०भ०नि० के कम्पायलेशन माह 02/2018 का डाटा 01 मार्च, 2018 को प्रोजेक्ट निधि पर अपलोड कर दिया जाएगा जिसे 06 मार्च, 2018 तक पंच करना है।
2. टी०एल०बी कर्मचारी के वेतन माह 02/2018 व एम०ई०एस० के Industrial Employees के वेतन माह 02/2018 का डाटा एव मार्च माह के डेबिट शिड्यूल का डाटा जो कि कम्पायलेशन माह 03/2018 में कम्पायल होगा, को 10 मार्च 2018 को प्रोजेक्ट निधि पर अपलोड कर दिया जाएगा जिसे 15 मार्च, 2018 तक पंच करना अति आवश्यक है। आवश्यकतानुसार कार्यालय को शनिवार एव रविवार को भी खोला जा सकता है। इस संदर्भ में महा नियंत्रक कार्यालय के पत्र संख्या AT/III/Misc/V dated 26.02.2015 एव A/III/12157/CMP/Vol-IV dated 27.02.2015 का अवलोकन करे।
3. 15.03.2018 से 31.03.2018 के बीच कोई भी वेतन कार्यालय / अनुभाग द्वारा GPF Final Withdrawal/Ty. Advance व वेतन बिल का भुगतान नहीं करेगा। इन केसों में सा०भ०नि० डाटा प्रोजेक्ट निधि में अपलोड नहीं किया जायेगा। अगर उक्त अवधि के बीच कोई ऐसा GPF का डाटा पाया गया तो उस वेतन कार्यालय/अनुभाग के प्रभारी अधिकारी के विरुध अनुशासनिक कार्यावाही की जा सकती है।
4. सभी संबंधित उप-कार्यालय व अनुभाग 17.03.2018 तक यह प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके कार्यालय के किसी भी अभिदाता के सा०भ०नि० का डाटा वित्तिय वर्ष 2017-18 में शेष नहीं रह गया है। प्रमाण-पत्र न प्राप्त होने की स्थिति में वेतन कार्यालय व अनुभाग के प्रभारी अधिकारी के विरुध कार्यावाही की जा सकती है।

यदि उपरोक्त निर्देशों में कोई भी कमियाँ/खामियाँ पाई जाती है तो संबंधित वेतन कार्यालय/अनुभाग के प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार होंगे।

  
डॉ० अमित गुप्ता

। अपर नियंत्रक।

प्रतिलिपि:

1.र०ले०नि०(निधि): मेरठ छावनी

आपके कार्यालय के अ०शा० पत्र सं. EDP/Fund-Sys/28/Non-DAD

दिनांक- 06/02/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2.र.ले.महा नियंत्रक, उलान बटार रोड  
पालम दिल्ली कैंन्ट - 10

सूचनार्थ, पत्र संख्या FC/14205/Project Nidhi/Vol-VIII

दि. 07.02.2018।

3.प्रभारी अधिकारी IT & S Cell

र०ले०प्र०नि०।प०क०। के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(स्थानीय)



वरि० लेखा अधिकारी। निधि कक्ष।